भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2366

उत्तर देने की तारीख 13.03.2025

खादी कारीगर

†2366. **श्री विष्णु दयाल रामः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) खादी कामगारों के लिए मजदूरी के नए स्तर क्या हैं और सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये मजदूरी लंबे समय तक बनी रहे, क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार की घोषित छूटों के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) खादी कामगारों की आजीविका और खादी क्षेत्र के समग्र विकास में सुधार लाने हेतु मजदूरी में वृद्धि और छूट की प्रभावकारिता की निगरानी हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने खादी कारीगरों की सहायता करने के लिए उनकी आय और समग्र आजीविका में सुधार करने हेतु समय-समय पर उनकी मजदूरी में वृद्धि की है। दिनांक 01.04.2023 से, कताई मजदूरी को 7.50 रुपये प्रति लच्छा से बढ़ाकर 10.00 रुपये प्रति लच्छा कर दिया गया और बुनाई मजदूरी में 10% की वृद्धि की गई, जिससे खादी कारीगरों की न केवल उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई, बल्कि उनकी आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसके अलावा, दिनांक 02.10.2024 से केवीआईसी ने कताई मजदूरी को 10.00 रुपये प्रति लच्छा से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लच्छा कर दिया है और बुनाई मजदूरी में 7% की वृद्धि की है।

खादी कारीगरों की दीर्घकालिक मजदूरी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किए गए अन्य उपायों का विवरण निम्नानुसार है:

(i) संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए): एमएमडीए के अंतर्गत, सूती, ऊनी, पॉलीवस्त्र के खादी संस्थाओं के मामले में कारीगरों को एमएमडीए का 35% प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया जाता है और रेशम के खादी संस्थाओं के मामले में कारीगरों को एमएमडीए का 30% प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया जाता है।

(ii) खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम के अंतर्गत कारीगरों को व्यक्तिगत वर्कशेड के निर्माण के लिए 1,20,000/- रुपये या वर्कशेड की कुल लागत का 75% {पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 90%) की वित्तीय सहायता और समूह वर्कशेड (न्यूनतम 5 और अधिकतम 15 कारीगर) के लिए, प्रति कारीगर 80,000/- रुपये या समूह वर्कशेड की कुल लागत का 75% (पूर्वोत्तर के लिए 90%), जो भी कम हो, की सहायता प्रदान की जाती है।

(ख): खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए केवीआईसी द्वारा निम्नलिखित पहलें की गई:

(i) केवीआईसी ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), नई दिल्ली के साथ साझेदारी की है और वैश्विक मानकों के लिए डिजाइन प्रक्रियाओं की स्थापना, नए कपड़े और उत्पाद बनाने, कपड़ों के लिए गुणवत्ता मानकों का प्रसार, नए खादी उत्पादों के लिए रचनात्मक दृश्य विपणन और पैकेजिंग और राष्ट्रीय खादी फैशन शो और प्रदर्शनियों के आयोजन के माध्यम से खादी की पहुंच बढ़ाने के लिए खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओईके) की स्थापना की है।

(ii) केवीआई उत्पादों को घरेलू स्तर पर सुलभ बनाने के लिए विभिन्न स्तर की प्रदर्शनियों का आयोजन करना तथा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में सहभागिता।

(iii) क्रेता से उपभोक्ता को उत्पाद की बिक्री करने के उद्देश्य से जेम पोर्टल (gem.gov.in) और ई-मार्केटिंग पोर्टल (www.ekhadiindia.com) के माध्यम से एमएसएमई के लिए ई-मार्केट लिंकेज के द्वारा

(iv) उत्पाद आपूर्ति/विपणन तंत्र की व्यवस्था की गई।.

(iv) विभिन्न शहरी केंद्रों और टियर-II शहरों में खादी लाउंज की स्थापना की गई।

(v) खादी उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकारी विभागों और विभिन्न सरकारी संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के थोक खरीदारों की आवश्यकताओं को पूरा करना।

(vi) वैश्विक स्तर पर ब्रांड 'खादी' की पहचान की रक्षा के लिए, केवीआईसी ने 15 देशों में ट्रेडमार्क 'खादी' के लिए पंजीकरण प्राप्त किया है और 32 देशों में खादी लोगो के लिए पंजीकरण प्राप्त किया है।

(vii) ग्राहकों को आकर्षित करने और केवीआई उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अवसरों/त्योहारों पर विशेष छूट की घोषणा की गई है।

(ग): खादी श्रमिकों की आजीविका में सुधार के लिए वेतन वृद्धि और छूट की प्रभावशीलता की निगरानी हेतु कार्यान्वित किए गए उपाय इस प्रकार हैं:

(i) केवीआईसी ने कारीगरों को उनके आधार सम्बद्ध बैंक खाता के माध्यम से संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए) और आईसेक लाभों के संवितरण को डिजिटल कर दिया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड से सीधे कारीगरों को अंतरित हों तथा पारदर्शिता एवं दक्षता में वृद्धि हो।

(ii) अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार, केवीआईसी के क्षेत्रीय कार्यालय नियमित रूप से जागरूकता शिविर, समीक्षा बैठकें और निगरानी कार्यकलाप आयोजित करते हैं।

केवीआईसी द्वारा खादी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कार्यान्वित उपाय निम्नानुसार हैं:

(i) केवीआईसी ने खादी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कई पहलों का कार्यान्वयन किया है। इनमें निफ्ट के साथ साझेदारी करके खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओईके) की स्थापना करना, वैश्विक मानकों के लिए डिजाइन प्रक्रियाएं स्थापित करना, नए कपड़े और उत्पाद बनाना, कपड़ों के लिए गुणवत्ता मानकों का प्रसार करना, नए खादी उत्पादों के लिए रचनात्मक दृश्य विपणन और पैकेजिंग करना तथा राष्ट्रीय खादी फैशन शो और प्रदर्शनियों का आयोजन करके खादी की पहुंच बढ़ाना शामिल है।

(ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), एमगिरी, दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (एसआईटीआरए) और बॉम्बे वस्त्र अनुसंधान संघ (बीटीआरए) जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ सहयोग प्रक्रिया अनुकूलन पर केंद्रित है, ताकि कठिन परिश्रम को कम किया जा सके, उत्पादकता में सुधार किया जा सके और कारीगरों की आय में वृद्धि की जा सके। भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के साथ साझेदारी से उत्पाद की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित होती है।

(iii) खादी विकास योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन: खादी विकास योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है, जिसके अंतर्गत वर्कशेड योजना के अंतर्गत: व्यक्तिगत वर्कशेड के लिए 1,20,000/- रुपये तक तथा समूह वर्कशेड के लिए 80,000/- रुपये तक की वित्तीय सहायता वर्कशेड के निर्माण के लिए प्रदान की जाती है, ताकि खादी क्रियाकलापों को करने के लिए बेहतर कार्य स्थल उपलब्ध कराया जा सके।

(iv) मौजूदा कमज़ोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना को मज़बूत बनाने के अंतर्गत: रुग्ण/कमज़ोर/समस्याग्रस्त/"डी" श्रेणी की संस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए, उक्त स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता केवीआईसी द्वारा प्रदान की जा रही है। मंत्रालय द्वारा सहायता के पैटर्न को 9.90 लाख रुपये से संशोधित कर 15.00 लाख रुपये कर दिया गया है।

(v) विक्रय केन्द्रों का नवीनीकरण: विक्रय केन्द्रों के नवीनीकरण के लिए, जिससे खादी कारीगरों को स्थायी आय प्राप्त हो सके, केवीआईसी विपणन अवसंरचना के लिए सहायता के अंतर्गत धन-राशि उपलब्ध करा रहा है।

(vi) कारीगर कल्याण निधि ट्रस्ट: इस पहल के अंतर्गत, कारीगरों के वेतन से कारीगर कल्याण निधि के 12% हिस्से की कटौती की जाती है तथा इसके समान 12% राशि केआई जमा से कटौती कर राज्य स्तरीय कारीगर कल्याण निधि ट्रस्ट में जमा की जाती है। दिशा-निर्देशों के अनुसार खादी कारीगरों द्वारा आवश्यकतानुसार धन-राशि निकाली जा सकती है।

*****